

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1363/2011/कोटा  
अपील संख्या 1364/2011/कोटा  
मैसर्स ट्रेडमेन इण्टरनेशनल  
कोटा

बनाम

सहायक आयुक्त,  
प्रतिकरापवंचन वृत्त प्रथम, कोटा

अपीलार्थी

प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री सुनील शर्मा, सदस्य  
आशा कुमारी, सदस्य

उपस्थित

श्री एस.के.जैन  
अभिभाषक  
श्री अनिल पोखरणा  
उप राजकीय अभिभाषक  
निर्णय दिनांक: 22.04.2015

अपीलार्थी की ओर से  
प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर के द्वारा अपील संख्या 85/आरएसटी/09-10 एवं 86/आरएसटी/2008-10/कोटा में पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 11.03.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत ही गई हैं। दोनों अपीलें एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित हैं तथा विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतिएँ प्रत्येक पत्रावली पर रखी जाये।

प्रकरण के संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 08.02.2001 को सर्वेक्षण किया जाकर उपलब्ध दस्तावेजों को अभिग्रहित किया गया और उनकी जांच की गई। व्यवसाय स्थल पर पाये गये दस्तावेजों की विस्तृत जांच करने पर यह तथ्य सामने आया कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा मैसर्स मेटलमेन इन्डस्ट्रीज पीथमपुर, इन्दौर से रु. 34,54,349/- की जी सी शीट्स/गेल्वेनाईजड कोरोगेटेड शीट्स आयात किया गया है और उनका लेखा पुस्तकों में इन्द्राज किये बिना ही उच्चन्ती रु. 37,99,784/- में विक्रय कर दिया इसलिये कर निर्धारण अधिकारी ने इस माल की कीमत पर 4 प्रतिशत से 1,15,1991/- का कर, राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत रु. 3,03,982/- की शास्ति एवं अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत रु. 18,985/- का ब्याज आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त जांच पर यह भी पाया गया कि व्यापारी ने मैसर्स मेटलमेन इन्ड. पीथमुर इन्दौर से 1,18,07,301/- के माल का जी सी शीट्स के नाम से बिल बनवाया और वास्तव में गेल्वेनाईजड कोरोगेटेड शीट्स आयात की और इसे बिना किसी निर्माण व प्रोसेसिंग के सीधे ही अपनी सहयोगी फर्म ट्रेडमेन स्टील कोटा के नाम से कर मुक्त माल के

अपील  
अपील

अपील

बिल जारी कर विक्रय कर दिया गया और उसके द्वारा इस माल के राज्य के अन्न व्यापारियों को विक्रय कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी व्यवहारी को बिक्री कर मुक्ति योजना का लाभ लेने हेतु कोई प्रमाण पत्र विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया और ना ही सर्वेक्षण के समय उसकी फैकट्री में कोई निर्माण कार्य ही होता हुआ पाया गया। उक्त तथ्य पाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने माना कि अपीलार्थी व्यवसायी ने इन्दौर के व्यापारी से कर योग्य माल क्रय किया और उसे सीधे ही विक्रय करना प्रदर्शित करते हुए चोरी की है इसलिये इस माल की विक्रय कीमत ₹ 1,94,24,473/- पर 4 प्रतिशत से ₹ 4,76,979/- का कर, अधिनियम धारा 65 के अन्तर्गत ₹ 9,53,958/- की शास्ति एवं अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत ₹ 95,015/- का ब्याज आरोपित करने का अस्थाई कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.04.2001 पारित किया गया, जिसे इस अन्तिम कर निर्धारण आदेश में पुनः आरोपित किया गया।

अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत विवरण के कारण विलम्ब की गणनानुसार अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत ₹ 27,470/- की शास्ति आरोपित की गई। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अस्थाई कर निर्धारण आदेश में कायम की गई मांग में से ₹ 2,00,100/- 28 दिन विलम्ब से जमा करवाई जाने से ₹ 5,94,867/- का ब्याज आरोपित किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कुल ₹ 26,26,982/- की मांग सृजित की गई। उक्त सृजित मांग विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने पर, उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त कर शेष मांग राशि को यथावत रखते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की, जिसके सम्बन्ध में कर बोर्ड में अपील संख्या 1363/11 प्रस्तुत की गई है।

उक्त अभियोग से सम्बन्धित पत्रावली का पुनः अवलोकन करने पर कर निर्धारण अधिकारी को ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी व्यवसायी ने आलोच्य अवधि में अपनी सहयोगी फर्म मैसर्स ट्रेड मेन स्टील कोटा से 20,00,910/- की स्टील क्रय की, लेकिन इसका जमा खर्च अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में नहीं किया और इसे उचन्ती विक्रय कर दिया है, जिस पर अन्तिम कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.01.2003 में करारोपण होने से रह गया था इसलिये उक्त आदेश को अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत संशोधित करते हुये ₹ 20,00,910/- पर 4 प्रतिशत से ₹ 80,036/- का कर, अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत ₹ 1,60,126/- की शास्ति एवं अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत ₹ 54,024/- का ब्याज आरोपित करते हुए कुल ₹ 2,94,186/-

31/21 छाप

की मांग कायम की गई। उक्त सृजित मांग को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी ने सृजित मांग को यथावत रखते हुए कर बोर्ड में अपील संख्या 1364/11 प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवसायी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बनाये गये अभियोग का निर्णय करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवसायी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया और ना ही अभिग्रहीत दस्तावेजों का लेखा पुस्तकों से मिलान किया गया, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश न्याय संगत एवं विधिक नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने रेकार्ड व दस्तावेजों के आधार पर कहीं भी उचन्ती विक्यय करना प्रमाणित नहीं किया गया। उनका यह भी कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने क्यासों के आधार पर उचन्ती विक्यय मानते हुए अतिरिक्त कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गई, जो अपास्तनीय है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध रिकार्ड पर विचार किये बिना आरोपित अतिरिक्त, शास्ति एवं ब्याज को यथावत रखा है, जो विधिसम्मत नहीं है।

उन्होंने अपील सुनवाई के समय तर्कों को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अन्तिम कर निर्धारण आदेश को अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत संशोधित करते हुए रु. 20,00,910/- पर 4 प्रतिशत से रु. 80,036/- कर, अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत रु. 1,60,126/- की शास्ति एवं अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत 54,024/- का ब्याज आरोपित किया है, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखा गया है, जो अनुचित एवं विधि के विरुद्ध है, क्योंकि अधिनियम की धारा 37 का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है और उक्त धारा के अन्तर्गत उन्हीं भूलों का संशोधन किया जा सकता है, जो रिकार्ड से परिलक्षित होती हों। उनका कथन है कि अन्तिम कर निर्धारण आदेश में ऐसी कोई भूल रिकार्ड से परिलक्षित नहीं होती है जिसका संशोधन किया जा सके।

उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार कर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को आरोपित अतिरिक्त कर, शास्ति एवं ब्याज के बिन्दुओं पर अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रतिकरापवंचन शाखा द्वारा अपीलार्थी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 08.02.2001 को किया गया, जिस पर पाया गया कि राज्य के बाहर से क्रय की गई जी आई शीट्स के एस टी.18ए उपलब्ध हैं, जिनमें फार्म नम्बर 30032/02 एवं 30032/03 से क्रमशः रु. 4,31,777/- एवं रु. 8,21,638/- का माल दिनांक 27.06.

31/2/11 (मुग्ध)

2000 एवं 01.07.2000 को क्रय कर आयात किया गया,जिसका इन्द्राज अपीलार्थी व्यवसायी की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं पाया गया। उनका कथन है कि सर्वेक्षण और जांच करने पर यह पाया गया कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा मैसर्स मेटलमेन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, इन्दौर के बिल नम्बर 235 दिनांक 24.05.2000 से जी आर शीट्स खरीद कर अपीलार्थी व्यवसायी फर्म द्वारा अपने बिल नम्बर 13 दिनांक 27.05.2000 को सहायक फर्म मैसर्स ट्रेडमेन स्टील, कोटा को उक्त माल यथावत बेच दिया तथा कोई कर नहीं चुकाया गया तथा फर्म मैसर्स ट्रेडमेन स्टील, कोटा ने यही माल मैरार्फ कलकत्ता स्टील एण्ड हार्ड वेयर मार्ट,उदयपुर को विक्रय कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त जांच पर पाया गया कि इन्दौर से क्य किया गया माल उसी वाहन संख्या एच आर 38सी/8454 से परिवहनित कर उदयपुर विक्रय किया गया तथा व्यवसायी द्वारा कर मुक्त का बिल जारी किया गया। सर्वेक्षण के दौरान व्यवसाय रखने पर कोई माल स्टॉक में नहीं पया गया तथा ना ही निर्माण कार्य जारी पया गया। उनका कथन है कि जांच पर पाया गया कि व्यवसायी द्वारा राज्य के बाहर से क्य की गई कर योग्य जी.सी.शीट्स/गैल्वेनाईज्ड कोरोगेटेड शीट को उचन्ती में ही किया गया है।

उनका कथन है कि सर्वेक्षण पर जांच के पश्चात कर निर्धारण हेतु सकल बिक्री रु. 1,57,24,257/- आंकी गई,इस बिक्री में से रु. 37,99,784/-की बिक्री व्यवसायी द्वारा बिल जारी किये गये तथा बिना क्य एवं विक्रय घोषित की है,इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिक्री पर 4 प्रतिशत की दर से कर रु. 1,51,991/-अस्थाई आदेशानुसार आरोपित किया गया,उक्त उचन्ती बिक्री पर कर जमा नहीं करवाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रु. 18,985/-आरोपित किया गया। करापवंचन की नियत से रु. 37,99,784/-की बिक्री उचन्ती में की है,जिसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात उसे अस्वीकार अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत कर की दुगुनी शास्ति रु. 3,03,982/-आरोपित की गई,जो पूर्णत उचित है।

उनका कथन है कि इसी प्रकार अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा रु. 1,19,24,473/-की गैल्वेनाईज्ड कोरोगेट शीट की कर योग्य बिक्री को जानबूझकर मिथ्या निर्माण बताकर करापवंचन की नियत से कर मुक्त घोषित किया गया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त राशि पर 4 प्रतिशत की दर से कर रु. 4,76,979/-आरोपित किया तथा उक्त कर योग्य बिक्री को करापवंचन की नियत से कर मुक्त घोषित किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत कर की दुगुनी शास्ति रु. 9,53,958/-आरोपित की एवं उक्त राशि अदेय होने के कारण ब्याज रु. 5,98,602/-आरोपित किया।

आ॒११ *[Signature]*

*[Signature]*

उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपीलों में प्रकरण के समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, शास्ति एवं ब्याज को यथावत रखा गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए उक्त बिन्दुओं पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उनका कथन है कि पुनरावलोकन पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि ₹ 20,00,910/- का स्टील मैसर्स ट्रेडमैन स्टील कोटा से क्य किया लेकिन उसके द्वारा इस माल की कोई खरीद बिक्री नहीं बतायी गयी, इस बिन्दु पर दिनांक 31.01.2003 को पारित किये गये कर निर्धारण आदेश में विचार नहीं हुआ है इसलिए अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत संशोधित करते हुए ₹ 20,00,910/- पर 4 प्रतिशत से ₹ 80,036/- का कर, अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत ₹ 1,60,126/- की शारीरिक एवं अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत ₹ 54,024/- का ब्याज आरोपित किया गया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने उक्त कथनों के आधार पर प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया था, जिसकी तामीली हेतु तामील कुनिन्दा जब अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल पर नोटिस तामील कराने हेतु पहुँचा तब फर्म बन्द पायी गयी और वहां उपस्थित चौकीदार को नोटिस तामील कराने पर उसने नोटिस लेने से मना किया तथा चौकीदार द्वारा बताया गया कि पार्टी नहीं रहती है इसलिए नोटिस कुनिन्दा द्वारा नोटिस चर्पा किया गया। तामील कुनिन्दा के उक्त रिपोर्ट के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पत्रक दिनांक 20.12.2002 में अंकित किया गया है कि “व्यवसायी की फर्म बन्द हो चुकी है। व्यवसाय स्थल पर केवल चौकीदार पाया जाना बताया गया है तथा नोटिस लेने से मना करने की स्थिति में तामील कुन्नदा द्वारा नोटिस चर्पा की रिपार्ट पेश की है। चूंकि व्यवसाय बन्द हो चुका है और पेशी पर कर निर्धारण वास्ते कोई उपस्थित नहीं हुआ है, कर निर्धारण कालातीत होने जा रहा है, अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर कर निर्धारण पारित करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहता अतः कर निर्धारण वर्ष 2000–01 का आदेश सुरक्षित रखा जाता है।” उक्त टिप्पणी अंकित करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आलोच वर्ष का कर निर्धारण दिनांक 31.03.2003 को पारित किया जाकर मांग सृजित की गई। उक्त सृजित मांग के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए शेष मांग को यथावत रखा गया।

अो॒११ कृपाप॑

अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध कर बोर्ड में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें उसने अपने अपील मीमो के पैरा संख्या में अंकित किया है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2000-01 का कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु नोटिस जारी करने पर, उसकी पालना में विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया और समय समय पर सभी सूचनाएँ प्रस्तुत की गई, फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने उस पर विचार किये बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

प्रकरण के समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात न्याय हित में अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2011 को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी व्यवहारी को सुनने का एक अवसर प्रदान करें। इन निर्देशों के साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की प्राप्ति के पश्चात दिनांक 30.06.2015 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष भय दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखें। यदि उक्त दिनांक को अपीलार्थी व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.03.2011 यथावत रहेगा।

निर्णय सुनाया गया।

आ०/२११ (मुग्धा)

(आशा कुमारी)

सदस्य

(सुनील शर्मा)

सदस्य